(क) पिछले छह महीनों के दौरान देश में कितनी बार असैनिक प्रयोजनों के लिये सेना की मदद ली गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सेना के अत्यधिक प्रयोग को उचित नहीं मानती है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Human Right Commission

270. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI MEERA DAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Human Rights Commission; and

(b) if so, the details in this regard and by when a legislation is likely to be enacted in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (b) The question of setting up a Human Rights Commission is understudy of the Government of India.

राज्यों के पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाया जाना

271. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिये संबंधित राज्यों के पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाये जाने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में किसी राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ऐसी कोई कार्य योजना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां तो सरकार इस कार्य योजना को लागू करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता कब तक प्रदान करने का विचार रखती है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) तारीख 3 अगस्त 1991 को गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया। इस बैठक में हुये विचार-विमर्श में अन्य बातों के साथ साथ यह सहमति हुई कि राज्य सरकारें कार्रवाई योजनायें तैयार करेंगी जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाये रखने संबंधी उपाय तथा विकासात्मक उपाय शामिल होंगे जो इस समस्या को हल करने के लिये आवश्यक हैं। नक्सलवाद विरोधी अभियान तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन संबंधी पर्यवेक्षण करने के लिये प्रभावित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समन्वयन समिति (सं०स०स०) गठित की गई है प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजनाओं की संयुक्त समन्वयन समिति अपनी बैठकों में जांच करेगी और उसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी 8वीं योजना प्रस्तावों में उन्हें शामिल करेगी। योजना आयोग राज्यों की योजनाओं को अंतिम रूप देते समय केन्द्रीय सहायता के अनुमोदित फार्मूले के अन्तर्गत इन प्रस्तावों पर अनुकूल दृष्टि से विचार करेगा। केन्द्र सरकार इन प्रभावित राज्यों को, आवश्यकता पड़ने पर अर्ध-सैनिक बलों की तैनातगी सहित सभी संभव सहायता दे रही है।